

राजस्थान-सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज0)  
क्रमांक:- प्रार्थना पत्र /2023/ 119 दायर दिनांक 13/7/23

धारा 136 एल.आर.एक्ट  
उचवान :- रमेशचन्द पिता देवीलाल कुल्मी नि0 कडोदिया तहसील रायपुर  
बनाम  
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रायपुर जिला झालावाड़ राज0

-: आदेश :- दिनांक / /2023

प्रार्थी रमेशचन्द पिता देवीलाल कुल्मी नि0 कडोदिया तहसील रायपुर के खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड व पटवारी हल्का की रिपोर्ट तथा तहसीलदार रायपुर की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम कडोदिया पटवार मण्डल कडोदिया तहसील रायपुर की जमाबन्दी सम्वत 2074-77 मे खाता संख्या 430 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (प्रार्थी के माता का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

क्रम संख्या	ग्राम/ पटवार मण्डल/ तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम कडोदिया पटवार मण्डल कडोदिया तहसील रायपुर	430	रमेशचन्द पुत्र भूलीबाई	रमेशचन्द पुत्र देवीलाल

क्रमांक:- राजस्व/2023/ 119

प्रतिलिपी निम्न को पालनार्थ हेतु प्रेषित हैं:-

तहसीलदार रायपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0) 13/7/23

उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा  
जिला झालावाड़  
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज0)

